

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, नवम्बर 9—नवम्बर 15, 2003, शनिवार/कार्तिक 18—कार्तिक 24, 1925
No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 9—NOVEMBER 15, 2003, SATURDAY/KARTIKA 18—KARTIKA 24, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2003

आ.अ. 58.—आयोग की 19 सितम्बर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर में जहां कहीं 'Vijay' नाम आया उसके स्थान पर 'Vijai' लिखा जाएगा।

[सं. 154/उ. प्र./2003—का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRGENDUM

New Delhi, the 12th November, 2003

O.N. 58.— In partial modification of the Commission's Notification of even No. dated 19th September, 2003 the name of 'Vijay' wherever it appears in the English version of the said Notification shall be spelt as 'Vijai' instead of "Vijay"

[No. 154/UP/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.